



मनुष को सदैव अभ्यास करते रहना
चाहिए, इससे जीवन आसान हो जाता है।

बलिया/गाजीपुर/मऊ

कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा कराने के नाम पर ग्राहकों से लूट, विभाग मौन

केटी न्यूज/बलिया

सूरज की तपिश बढ़ने के साथ पेय पदार्थ की मांग ज्यादा बढ़ गयी है। जिसमें शीतल पेय पदार्थों की मांग सबसे अधिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदार पेय पदार्थों को ठंडा करने के नाम पर निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे ले रहे हैं। जिसमें पेय पदार्थ खरीदने वाले लोगों को अधिक तुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि तपिश से बचने के लिए लोग प्रायः अपनी हल्की कोंतर के तर करने के लिए शीतल पेय पदार्थ पीकर प्यास खुलाते देखे जा रहे हैं, लेकिन शीतल पेय पदार्थ बेचने वाले दुकानदार कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने

□ एमआरपी से अधिक दो रुपये से लेकर दस रुपये तक वसूले जा रहे अधिक

के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं। अधिक पैसा वसूलने को लेकर ग्राहकों व दुकानदारों के बीच बहारी कोल्ड ड्रिंक का भूल 20 रुपये निर्धारित है उसे दुकानदार 22 से 25 रुपए में ठंडा करने के नाम पर बेच रहे हैं। बड़ी बोतल जिसकी एमआरपी 95 रुपया है उसे 100 रुपये से 105 तक बेचा जा रहा है।

क्या कहते हैं लोग : राम प्रकाश, प्रेम नाथ, दीपक कुमार विकास कुमार कहते हैं कि पेय पदार्थ



बनाने वालों ब्रॉडेंड कर्पनिया सिफर उत्पाद बेचने की जिम्मेवारी तक सीमित रहती है, लेकिन उनके उत्पाद को दुकानदार ब्लैक में बेच रहे हैं वा

नहीं उस पर कोई भी पकड़ नहीं रहती है। पेय पदार्थ का निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा दुकानदारों द्वारा लिये जाने के संबंध में पूछे जाने पर

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मूल्य नियन्त्रण में अधिकार में नहीं है। चंद्रशेखर नगर निवासी निवासी रिंड्र शर्मा, गौरव शुक्ला सहित अन्य लोगों का कहना है कि शीतल पेय सामग्री के दुकानदारों से यह कोई एमआरपी से अधिक वसूलने के द्वारा होता है तो उससे कह दिया जाता है कि एमआरपी पर केवल गम्भीर बाटल ही दी जाएगी। यदि ठंडी बाटल चाहिए तो एसएस्ट्रा रुपये देने ही पड़ेंगे, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है, वहाँ तो नकली कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ही मनमाने रेट भी चलते हैं। इसके अलावा घटिया किस्म के पानी के पातड़ भी तीन रुपए में बेचे जा रहे हैं

हैं, गर्मी के दौसन लगें वाली अस्थायी दुकानों के संचालक चार महीने बिजली के बिल का भार उठाना नहीं चाहते, वहीं जो होटल और रेस्टोरेंट स्थानी हैं वह भी गर्मी के मौसूलों के द्वारा होता है तो करना चाहते।

क्या जाते हैं दुकानदार : एक दुकानदार ने नाम नहीं लगाने की वज़त पर बाताएँ कि कंपनी ने मूल्य तो पर बाताएँ कि कंपनी ने मूल्य तो निर्धारित कर दिया, लेकिन प्रिंज, बिजली तथा बाटल का अतिरिक्त खर्च कहाँ से आएगा। इस पर जब दुकानदार से सबाल पूछा गया कि कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत में सब सम्मिलित रहता है, इस पर दुकानदार कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

प्रशिक्षण की दोनों पालियों में अनुपस्थित रहे 32 मतदान कर्मी



गाजीपुर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल निष्काश, शानिरूप एवं पारस्पर्य तरीके से सम्पन्न करा, जाने के उद्देश्य से मतदान कार्यक्रम के एक दिन पूर्व शाम 05:00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त उस दिन रात 12:00 बजे तक आवारी एवं मादक पदार्थों की दुकानों को बन्द रखा जाएगा।

48 घंटे पहले बंद होंगी शराब व भांग की दुकानें

गाजीपुर। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (प० एवं नगरीय निकाय) ने बताया कि निकाय चुनाव में नियन्त्रण, पारदर्शी एवं शानिरूप सम्पन्न कराने के लिए जिले में प्रथम वरण का मतदान 04 मई 2023 को होना नियत है एवं मतगणना 13 मई 2023 को सम्पन्न कराई जाएगी। जनपद के आवारी अधिकारी ने समस्त मादक पदार्थों पर बंदी बाटल कर दिया कि दुकानों को मालिकों को निर्देश दिया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने दुकानें बंद रहींगी। शराब ही मतगणना प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व शाम 05:00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त उस दिन रात 12:00 बजे तक आवारी एवं मादक पदार्थों की दुकानों को बन्द रखा जाएगा।

वोट देने के लिए इन पहचान पत्रों में से एक जरूर साथ लाएं

गाजीपुर। जनपद में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का चुनाव 04 जून को होना। मतदाताओं को अपाना बोट देने के लिए सप्ता, बस्पा व कांग्रेस के प्रायांतीकरण वार्डों को अपाने पालों में लाने के लिए दिन-नात एक किए गुड़ हैं। वहाँ, पिछले 25 वर्षों के गड़े मुद्रे को उड़ाका जा रहा है। तबह-तरर के हथकंडों से मुस्लिम मतदाताओं के चिंता में डाले हुए हैं। खासगंधी, बस्पा और कांग्रेस के बोटें वालों की समीक्षा कर रही हैं। नगर पालिका गाजीपुर की बात करें तो वहाँ अव्याप्त घटनाएँ होती हैं, लेकिन बताया कि बोट देने के लिए दिन-नात एक किए गुड़ हैं। वहाँ, पिछले 25 वर्षों के गड़े मुद्रे को उड़ाका जा रहा है। तबह-तरर के हथकंडों से मुस्लिम मतदाताओं के चिंता में डाले हुए हैं।

जबकि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अंजर श्रीवास्तव ने बताया कि इस चुनाव में प्रायिक वाटोरों को समर्थन देंगिए, जिससे कि 25 वर्षों से चलता आ रहा प्रायांतीकरण राज का समर्थन किया जा सके। उन्होंने बताया कि बोट देने के लिए दिन-नात एक किए गुड़ हैं। चांपांतीकरण राज का अन्य वाटोरों को अपाने पालों में लाने के लिए दिन-नात एक किए गुड़ हैं। वहाँ, पिछले 25 वर्षों के गड़े मुद्रे को उड़ाका जा रहा है। तबह-तरर के हथकंडों से मुस्लिम मतदाताओं के चिंता में डाले हुए हैं।

गाजीपुर। जनपद में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का चुनाव 04 जून को होना। मतदाताओं को अपाना बोट देने के लिए नियन्त्रित विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य व बंद सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त्रम, स्थानीय नियायी अथवा पिलिमेंट रेकर्ड्स के बारे में सोचेगा। पर बोट देने के लिए विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अविवायी रहेगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित मतदाता फहमान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट,